

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णियाँ

सी०सी०ए० वाद संख्या-36/15

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी मो० मोईस

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-4214/सी०आर० दि०-15.09.15 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मो० मोईस, पिता-मो० जाबुल, सा०-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा०-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

उपलब्ध प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुख्यात अपराधकर्मी मो० मोईस, पिता-मो० जाबुल, सा०-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा०-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जिसके विरुद्ध लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर काण्ड प्रतिवेदित है। जिस कारण से पूरे इलाके में उसका आतंक फैला है और लोक शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी होने से शान्ति का माहौल बना था, परन्तु उक्त अपराधकर्मी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. कसबा थाना कांड संख्या-28/12, दिनांक-19.03.12, धारा-395/397 भा०द०वि०। आरोप पत्र संख्या-76/12, दिनांक-30.06.12
2. जलालगढ़ थाना कांड संख्या-41/12, दिनांक-26.03.12, धारा-395/397 भा०द०वि०। आरोप पत्र संख्या-41/13, दिनांक-27.05.13
3. जलालगढ़ थाना कांड संख्या-56/12, दिनांक-03.05.12, धारा-224 भा०द०वि०। आरोप पत्र संख्या-121/12, दिनांक-31.10.12
4. अमौर थाना कांड संख्या-117/13, दिनांक-03.08.13, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र संख्या-150/13, दिनांक-30.09.13

जमानत पर बाहर आने के बाद इस अपराधकर्मी के द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर मतदाताओं को डराने-धमकाने की बात सामने आयी है। इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में कांड लंबित है उनमें गवाही देने के लिए वादी और साक्षीगण या तो डर से जायेंगे ही नहीं और यदि जायेंगे तो उसके विरुद्ध गवाही नहीं देंगे बल्कि अपना बयान बदल लेंगे।

वर्तमान में ये आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के मद्देनजर सहयोगियों के मदद से थाना क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी देने की बात प्रकाश में आयी है।

विपक्षी को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी मो० मोईस, पिता-मो० जाबुल, सा०-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा०-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु साक्ष्य सहित प्राप्त प्रस्ताव के

आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उसके अपराधिक गतिविधि के मद्देनजर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने के लिए, ताकि लोक शान्ति एवं आसन्न विधान सभा निर्वाचन-2015 को शान्तिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत क्यो नही कार्रवाई की जाय के सम्बन्ध में कारण पृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। पर्याप्त समय मिलने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

अपराधकर्मी को सुनने के बाद प्रतिवादी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार मो0 मोईस, पिता-मो0 जाबुल, सा0-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा0-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन-2015 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक ...Mihyom... थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति देने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ पूर्णियाँ जिला के ...Mirganj... थाना में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराहन के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक-05.11.2015 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो उन्हें लिखित रूप से सूचना ...Mirganj... थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात् ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, ...Mirganj... को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी मो0 मोईस, पिता-मो0 जाबुल, सा0-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा0-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मो0 मोईस, पिता-मो0 जाबुल, सा0-लखनारे, थाना-जलालगढ़, वर्तमान पता- सा0-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णियाँ को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, अमौर को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ /थानाध्यक्ष, ...Mirganj.../ अमौर को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिए अग्रसरित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णियाँ जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ


जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक.....२५२३...../विधि, दिनांक- 31/10/15.....

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनुरोध है कि आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्ष एवं अपराधकर्मी को अपने स्तर से तामिला हेतु भेजने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, **N.I.C.** पूर्णियों को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।


वरीय उपसमाहर्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियों ।

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णियाँ

सी०सी०ए० वाद संख्या-33/15

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी मंटा यादव

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-4227/सी०आर० दि०-15.09.15 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मंटा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा०-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

उपलब्ध प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुख्यात अपराधकर्मी मंटा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा०-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जिसके विरुद्ध लूट, हत्या जैसे गंभीर काण्ड प्रतिवेदित है। जिस कारण से पूरे इलाके में उसका आतंक फैला है और लोक शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी होने से शान्ति का माहौल बना था, परन्तु उक्त अपराधकर्मी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. सदर मु० थाना कांड संख्या-311/03 दिनांक-04.11.03, धारा- 302/34 भा०द०वि०
2. सदर मु० थाना कांड संख्या-83/03 दिनांक-07.03.03 धारा- 395/120बी/भा०द०वि०।

जमानत पर बाहर आने के बाद इस अपराधकर्मी के द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर मतदाताओं को डराने-धमकाने की बात सामने आयी है। इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में कांड लंबित है उनमें गवाही देने के लिए वादी और साक्षीगण या तो डर से जायेंगे ही नहीं और यदि जायेगे तो उसके विरुद्ध गवाही नहीं देंगे बल्कि अपना बयान बदल लेंगे।

वर्तमान में ये आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के मद्देनजर सहयोगियों के मदद से थाना क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी देने की बात प्रकाश में आयी है।

विपक्षी को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी मंटा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा०-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु साक्ष्य सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उसके अपराधिक गतिविधि के मद्देनजर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने के लिए, ताकि लोक शान्ति एवं आसन्न विधान सभा निर्वाचन-2015 को शान्तिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत क्यों नहीं कार्रवाई की जाय के सम्बन्ध में कारण पृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। कारणपृच्छा दाखिल की गई। कारणपृच्छा में प्रतिवेदित है कि उपरोक्त दोनो काण्डों में माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी को निर्दोष पाते हुए दोषमुक्त कर दिये है। ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा केश में नाम डलवा दिया गया है। परंतु इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अपराधकर्मी को सुनने के बाद प्रांतशासक के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार मंडा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा0-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के उप धारा-3 के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन-2015 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक Bhawanipur थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति देने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ पूर्णियाँ जिला के Bhawanipur थाना में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराहन के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक-05.11.2015 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो उन्हें लिखित रूप से सूचना Bhawanipur थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात् ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, Bhawanipur को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी मंडा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा0-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मंडा यादव, पिता-गोविन्द यादव, सा0-दीवनगंज, थाना-सदर मुफ़सिल, जिला-पूर्णियाँ को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, सदर मुफ़सिल को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ /थानाध्यक्ष, Bhawanipur/ सदर मुफ़सिल को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिए अग्रसरित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णियाँ जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ

